Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to instruct insurance companies for payment of compensation to farmers of Odisha.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मेरा जो विषय है, वह क्रॉप इंश्योरेंस के पेमेंट से संबंधित है । ओडिशा में आज किसान रास्ते पर बैठे हुए हैं । वहाँ इस समय प्रोक्योरमेंट चल रहा है । पिछले साल का कम्पेनसेशन अभी तक उनको नहीं मिला है । श्री अटल बिहारी वाजपेई जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय यह स्कीम शुरू हुई थी । श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद किसानों तक मुआवजे की राशि पहुँचाने के लिए उसमें सरलीकरण किया गया । लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद, उसमें जितना डैमेज का एसेसमेंट हुआ है, उसे इंश्योरेंस कम्पनियाँ मानने को तैयार नहीं है ।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी हो या रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी हो, जो लोग ओडिशा में काम कर रहे हैं, उनका एसेसमेंट एक तरफ है और उनका पेमेंट एक तरफ है । मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कम्पनियों के कारण क्रॉप इंश्योरेंस एक्ट पूरी तरह से डिरेल होने लगा है ।

मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और मेरा निवेदन भी है कि एक दिशा-निर्देश दिया जाए कि जैसे मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल में कोई भी एक्सीडेंट से संबंधित केस कर सकता है, मुझे लगता है कि इसका प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनका मुआवजा मिल सके ।

आपसे विनती है कि केन्द्र सरकार को डायरेक्शन दिया जाए so that let the Central Government take up the matter with the State Government as well as the insurance company for payment of compensation to the farmers of Odisha.